

असाधारण सामान्य बैठक के लिए नोटिस Notice for Extraordinary General Meeting

बुधवार, 15 जनवरी, 2014, वडोदरा
Wednesday, 15th January, 2014, Vadodara



निवेशक सेवा विभाग:

बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर, तृतीय तल, सी-26, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.
Email: investorservices@bankofbaroda.com

INVESTORS' SERVICES DEPTT:

Baroda Corporate Centre, 3rd Floor, C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051.
Email: investorservices@bankofbaroda.com

विषय CONTENTS

	पृष्ठ सं. Page No.
नोटिस NOTICE	1
नोट NOTES	3
प्रॉक्सी फार्म PROXY FORM	6
उपस्थिति पर्ची एवं प्रवेश पत्र ATTENDANCE SLIP CUM ENTRY PASS	8

प्रधान कार्यालय - मांडवी, बड़ौदा 390 006
कार्पोरेट कार्यालय : बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर, सी-26, जी ब्लॉक,
बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051

Head Office: Mandvi, Baroda – 390 006
Corporate Office: Baroda Corporate Centre, C-26, G Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051

नोटिस

एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि निम्नलिखित कारोबार का संचालन करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक बुधवार, 15 जनवरी, 2014 को सुबह 10.00 बजे सर सयाजीराव नगर गृह, वडोदरा महानगर, सेवा सदन, बैंक ऑफ बड़ौदा शताब्दी वर्ष (2007-2008), टी.पी.-1, एफ.पी. 549/1, जीईबी कॉलोनी के पास, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा - 390020 में संपन्न होगी.

विशेष संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधन सहित अथवा संशोधन के बिना पारित करना.

“यह संकल्प किया जाता है कि राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (इसके बाद जिसे ‘योजना’ कहा गया है) और समय-समय पर संशोधित बैंक ऑफ बड़ौदा सामान्य (शेयर एवं बैठक) विनियमन, 1998 के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (इसके बाद जिसे ‘अधिनियम’ कहा गया है) के प्रावधानों के अनुसरण में और भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड और/या इस बारे में अपेक्षित अन्य किसी प्राधिकारी के अनुमोदन, सहमति, मंजूरी, यदि कोई हो, के अध्यक्ष और ऐसे अनुमोदन की मंजूरी में उनके द्वारा निर्धारित ऐसे नियमों, शर्तों और उसमें संशोधनों के अध्यक्ष और जिस पर बैंक के निदेशक मंडल द्वारा सहमति होगी और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2009 अद्यतन तारीख को यथा संशोधित (सेबी आईसीडीआर विनियमन) और भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य सभी संबद्ध प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर निर्धारित विनियमों के अध्यक्ष और स्टॉक एक्सचेंजों, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ किए गए सूचीकरण करार के अध्यक्ष बैंक के शेयरधारकों की सहमति है और एतद्वारा बैंक के निदेशक मंडल (इसे यहां इसके पश्चात् बोर्ड कहा गया है जिसमें एक समिति का समावेश होगा जिसे बोर्ड द्वारा इस संकल्प के तहत प्रदत्त शक्तियों सहित अपनी शक्तियों को प्रयुक्त करने के लिए गठित किया जाएगा और/या गठित कर सकेगा) को सेबी आईसीडीआर विनियमन के विनियमों के अनुसार निर्धारित किए जाने वाले प्रीमियम पर 10 रुपए (दस रुपए केवल) प्रति इक्विटी शेयर नकद मूल्य पर 550 करोड़ रुपये तक (पांच सौ पचास करोड़ केवल) का सृजन करने, उन्हें ऑफर करने, उन्हें जारी करने और उन्हें भारत सरकार को अधिमानता आधार पर आबंटित करने की मंजूरी दी जाती है”

NOTICE

NOTICE is hereby given that an Extraordinary General Meeting of the shareholders of Bank of Baroda will be held on **Wednesday, 15th January 2014, at 10.00 a.m. at Sir Sayaji Rao Nagargriha, Vadodara Mahanagar Seva Sadan, Bank of Baroda Centenary Year (2007-2008), T. P. – 1, F. P. 549/1, Near GEB Colony, Old Padra Road, Vadodara – 390 020** to transact the following business:

To consider and if thought fit, pass with or without modification, the following resolution as a Special Resolution:

“**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (herein after referred to as the ‘Act’) read with the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 (herein after referred to as the ‘Scheme’) and Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations, 1998 as amended from time to time and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GOI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 as amended up to date (SEBI ICDR Regulations) and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called “the Board” which shall be deemed to include a Committee which the Board may have constituted/ may constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot up to such number of equity shares of Rs. 10/- each (Rupees Ten only) for cash at a premium to be determined in accordance with SEBI ICDR Regulations, aggregating upto Rs. 550/- crore (Rupees Five Hundred Fifty Crore only), on preferential basis to Government of India.”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि निर्गम मूल्य के निर्धारण हेतु संबद्ध तारीख 16 दिसंबर, 2013 है.”

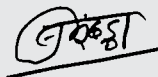
“यह भी संकल्प किया जाता है कि निदेशक मंडल के पास भारत सरकार/ भारतीय रिज़र्व बैंक/भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड /स्टॉक एक्सचेंजों, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं अथवा ऐसे अन्य उचित प्राधिकारियों से शेयरों के निर्गम, आबंटन एवं उनको सूचीबद्ध करने हेतु उनके अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं मंजूरी प्रदान करने /मंजूरी के समय उक्त प्रस्ताव में यथा अपेक्षित अथवा लागू किए गए किसी भी प्रकार के आशोधन को निदेशक मंडल की सहमति के अनुरूप स्वीकार करने का प्राधिकार एवं शक्ति होगी.”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि जारी किए जाने वाले उक्त इक्विटी शेयर / परिवर्तनीय वारंट बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के समतुल्य माने जाएंगे और यदि कोई लाभांश घोषित किया जाता है तो ऐसी घोषणा के समय प्रवृत्त सांविधिक दिशा-निर्देशों के अनुसार उसके हकदार होंगे.”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को लागू करने के प्रयोजन हेतु बोर्ड पूर्णतः अपने विवेकानुसार आवश्यक, उचित तथा वांछनीय प्रतीत होने वाले ऐसे सभी कार्यों, विलेखों, मामलों तथा कृत्यों को करने के लिए प्राधिकृत है और एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है और इक्विटी शेयरों के निर्गम के संबंध में उठने वाले किसी भी प्रश्न, समस्या या संदेह का निपटान करने और ऐसे सभी कार्यों, विलेखों, मामलों और कृत्यों को करने, अपने पूर्णतः विवेकानुसार शेयरधारकों की आगे कोई और सहमति या अनुमोदन लिए बिना आवश्यक, वांछनीय या जरूरी सभी दस्तावेजों और लिखतों को अंतिम रूप देने और उन्हें निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत है अथवा शेयरधारकों की ओर से करने और उनकी ओर से अभिप्रेत को करने के लिए अधिकृत करने हेतु इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा अभिव्यक्त किए गए अनुसार उनका अनुमोदन माना जाएगा.”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि निदेशक मंडल प्राधिकृत है और एतद्वारा उसे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा कार्यकारी निदेशकों अथवा बैंक के किसी ऐसे अन्य अधिकारी (अधिकारियों) को, जिसे वह उचित समझे, उपरोक्त संकल्प लागू करने हेतु, इसमें यहां प्रदत्त सभी अथवा किसी भी शक्ति को प्रत्यायोजित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है.”

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते बैंक ऑफ़ बड़ौदा



(एस.एस.मुंदड़ा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मुंबई
दिनांक : 3 दिसंबर, 2013

“RESOLVED FURTHER THAT the Relevant Date for determination of the Issue Price is fixed as **16th December 2013.**”

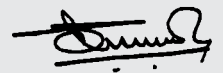
“RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the Government of India / Reserve Bank of India / Securities and Exchange Board of India/ Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board.”

“RESOLVED FURTHER THAT the said equity shares to be issued shall rank *pari passu* with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorised to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Chairman and Managing Director or Executive Director/s or such other officer of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution.”

By order of the Board of Directors
For **BANK OF BARODA**



(S.S. Mundra)
Chairman & Managing Director

Place: Mumbai
Date: 3rd December 2013

टिप्पणियां:

1. व्याख्यात्मक विवरण

कार्य-सूची मदों के बारे में व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है।

2. प्रॉक्सी की नियुक्ति

बैठक में भाग लेने और मत देने के लिए पात्र शेयरधारक अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने और मत देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने हेतु पात्र होगा /होगी और ऐसे प्रॉक्सी का बैंक का शेयरधारक होना जरूरी नहीं है तथापि इस तरह से नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का अधिकारी नहीं होगा। प्रॉक्सी फॉर्म के प्रभावी होने के लिए आवश्यक है कि यह असाधारण सामान्य बैठक की तारीख से कम से कम 4 दिन पूर्व अर्थात् **शुक्रवार, 10 जनवरी, 2014** को बैंक के कारोबार समय की समाप्ति से पहले अर्थात् सायं 5.00 बजे तक या इससे पहले केवायसी एवं एएमएल विभाग, बैंक ऑफ बड़ौदा, 8वां तल, सूरज प्लाजा-I, सयाजीगंज, बड़ौदा-390 005 में स्थित प्रधान कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए। कृपया नोट करें कि बैंक का कोई कर्मचारी अथवा अधिकारी समय-समय पर यथा संशोधित बैंक ऑफ बड़ौदा जनरल (शेयर एवं मीटिंग) विनियम, 1998 के प्रावधानों के अनुसार प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता।

3. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति :

कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी के विधिवत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लेने के लिए अथवा वोट देने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब कि उसे यथा विधि प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने संबंधी संकल्प की एक प्रति, जिसे उस बैठक के अध्यक्ष, जिसमें यह पारित किया गया हो, द्वारा सत्य प्रति के रूप में प्रमाणित किया गया हो, बैठक की तारीख से 4 दिन पूर्व अर्थात् **शुक्रवार, 10 जनवरी, 2014** को बैंक का कार्य समय समाप्त होने अर्थात् सायं 5.00 बजे तक या इससे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा, केवायसी एवं एएमएल विभाग, 8वां तल, सूरज प्लाजा-I, सयाजीगंज, वडोदरा-390 005 में स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय के पास जमा न कर दिया गया हो। कृपया नोट करें कि बैंक का कोई कर्मचारी अथवा अधिकारी समय-समय पर यथा संशोधित बैंक ऑफ बड़ौदा जनरल (शेयर एवं मीटिंग) विनियम, 1998 के प्रावधानों के अनुसार प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता।

4. उपस्थिति - पर्ची सह प्रवेश पत्र :

शेयरधारकों की सुविधा के लिए, इस नोटिस के साथ उपस्थिति पर्ची एवं प्रवेश-पत्र संलग्न है। शेयरधारकों/प्रॉक्सी धारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि उसमें निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें और उसे बैठक के स्थान पर सुपुर्द कर दें। प्रॉक्सी/शेयरधारक के प्रतिनिधि, जैसा मामला हो, उपस्थिति पर्ची में स्पष्ट करें कि वह "प्रॉक्सी" है या "प्राधिकृत प्रतिनिधि" है।

5. मताधिकार

अधिनियम की धारा 3 (2ई) के प्रावधानों के अनुसार, केंद्रीय सरकार से भिन्न तदनुसूची नये बैंक का कोई भी शेयरधारक तदनुसूची नये बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के दस प्रतिशत से अधिक धारित शेयरों के बारे में मताधिकार का हकदार नहीं होगा।

शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैठक में अपने नोटिस की प्रति लेकर आएंगे।

NOTES:

1. EXPLANATORY STATEMENT

The Explanatory Statement concerning the agenda item is annexed hereto.

2. APPOINTMENT OF PROXY

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING, IS ALSO ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF / HERSELF, AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. However, the Proxy so appointed will not have any right to speak at the meeting. The proxy form in order to be effective must be received at the Head Office situated at Bank of Baroda, AML Dept., 8th Floor, Suraj Plaza I, Sayajiganj, Vadodara – 390 005, not later than FOUR DAYS before the date of the Extraordinary General Meeting i.e., on or before the closing hours of the Bank at 5.00 pm on **Friday, 10th January, 2014**. Please note that any employee or officer of the Bank cannot be appointed as proxy as per provision of Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations, 1998 as amended from time to time.

3. APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorised representative of a Company or any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office situated at Bank of Baroda, AML Dept., 8th Floor, Suraj Plaza I, Sayajiganj, Vadodara – 390 005, not later than FOUR DAYS before the date of the Extraordinary General Meeting, i.e., on or before the closing hours of the Bank at 5.00 pm on **Friday, 10th January 2014**. Please note that an employee or officer of the Bank cannot be appointed as authorized representative as per provisions of Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations 1998, as amended from time to time.

4. ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance slip-cum-Entry Pass is annexed to this Notice. Shareholders/ Proxy holders /Authorised Representative are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue of the meeting. Proxy/Authorised Representative of shareholders should state in their Attendance Slip-cum-Entry Pass as "Proxy" or "Authorised Representative" as the case may be.

5. VOTING RIGHTS

In terms of the provisions of Section 3 (2E) of the Act, no shareholder of the corresponding new bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of Ten percent of the total voting rights of all the shareholders of the corresponding new bank.

SHAREHOLDERS ARE REQUESTED TO BRING THEIR COPIES OF THE NOTICE TO THE MEETING.

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (पूँजी निर्गम एवं प्रकटीकरण संबंधी आवश्यकताएं) अधिनियम, 2009 के अनुसार किए जाने के लिए अपेक्षित व्याख्यात्मक विवरण एवं प्रकटीकरण अद्यतन तारीख को यथा संशोधित.

क) अधिमान निर्गम का उद्देश्य

आस्तियों में निरंतर वृद्धि हासिल करने एवं सुदृढ़ सीआरएआर बनाए रखने हेतु पूँजी को बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई चूंकि आस्तियों में अपेक्षित वृद्धि सुनिश्चित करने और बैंक की अनुषंगियों और सहायक कंपनियों के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग परिचालनों को समर्थित करने हेतु अपेक्षित पूँजी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लाभ का पुर्ननिवेश ही पर्याप्त नहीं होगा.

भारत सरकार ने अपने पत्र सं.एफ.नं. 11/13/2011-बीओए दिनांक 22 अक्तूबर, 2013 द्वारा हमारे बैंक को वरीयमान आधार पर हमारे बैंक के इक्विटी शेयरों के अर्जन की मंजूरी प्रदान करने पर सहमति प्रदान की है. अर्थात् सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार, निर्धारित की जानेवाली प्रीमियम पर नकद मूल्य 10 रुपए (दस रुपए केवल) प्रति इक्विटी शेयर जिनका कुल मूल्य 550 करोड़ तक (रुपए पांच सौ पचास करोड़ केवल).

जुटाई गई पूँजी का इस्तेमाल पूँजी पर्याप्तता को बेहतर बनाने एवं बैंक की सामान्य व्यावसायिक जरूरतों के निधीयन हेतु किया जाएगा जिसमे बैंक की अनुषंगियों एवं सहायक कंपनियों द्वारा किए जाने वाले राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग परिचालन को समर्थित करना भी शामिल है.

ख) चूंकि संपूर्ण निर्गम भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित है, नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा. निर्गम मूल्य सेबी आईसीडीआर विनियमों, अद्यतन तारीख को यथा संशोधित के अनुरूप निर्धारित किया जाएगा.

ग) निर्गम-पूर्व एवं उपरांत शेयरधारिता का स्वरूप

क्र. सं.	श्रेणी	निर्गमपूर्व (29.11.2013 को)		निर्गम उपरांत	
		धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारिता प्रतिशत	धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारिता प्रतिशत
क.	प्रवर्तकों की धारिता (भारत सरकार)	233412499	55.41	**	**
ख	गैर प्रवर्तक धारिता	187843804	44.59	187843804	**
	कुल	421256303	100.00	**	100.00

**** भारत सरकार को अधिमान निर्गम 10 रु. प्रत्येक के इक्विटी शेयर अपेक्षित संख्या में नकद मूल्य पर सेबी आईसीडीआर विनियमों द्वारा निर्धारित प्रीमियम पर होंगे जिनका कुल मूल्य 550/- करोड़ रुपए तक होगा.**

घ) बैंक, सेबी आईसीडीआर विनियमों में विनिर्दिष्ट समय सीमा के अंदर निर्गम प्रक्रिया को पूरा करने की कोशिश कर रहा है.

ङ) सेबी आईसीडीआर विनियमों के शर्तों के अनुसार भारत सरकार की पूर्व अधिमान धारिता, संबद्ध तारीख से, स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा व्यापार अनुमोदन प्रदान किए जाने की तारीख से 6 माह की अवधि के लिए लॉक्ड-इन होगी.

Explanatory Statement and Disclosure as required to be made in terms of Securities & Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009, as amended up to date.

a) Objects of the Preferential Issue

In order to achieve a sustainable growth in its assets and maintaining robust CRAR, need is felt for augmenting capital as the plough back of profits alone would not be adequate enough to meet the required capital to support the envisaged asset growth and to support national and international banking operations undertaken through Bank's subsidiaries and associates.

Government of India vide its letter no. F. No.11/13/2011-BOA dated 22nd October 2013, has expressed its intention and has given its approval to acquire equity shares of our Bank on a preferential basis i.e. up to such number of equity shares of Rs. 10/- each (Rupees Ten only) for cash at a premium to be determined in accordance with SEBI ICDR Regulations, aggregating up to Rs. 550/- crore (Rupees Five Hundred Fifty Crore only).

The capital raised would be utilized to improve the Capital Adequacy and to fund general business needs of the Bank including supporting national and international banking operations undertaken through Bank's subsidiaries and associates.

b) As the entire issue is proposed to GOI, the Promoter, there would not be any change in control. The Issue Price will be determined in accordance with SEBI ICDR Regulations, as amended up to date.

c) Shareholding Pattern before and after the Issue:

Sl. No.	Category	Before the Issue (As on 29-11-2013)		After the issue	
		No. of shares held	Percentage of share-holding	No. of shares held	Percentage of share-holding
A	Promoter's Holding (Govt. of India)	233412499	55.41	**	**
B	Non – Promoter Holding	187843804	44.59	187843804	**
	Total	421256303	100.00	**	100.00

**** The preferential issue to Government of India will be of such number of equity shares of Rs.10/- each for cash at a premium to be determined by the Board of Directors in accordance with SEBI ICDR Regulations, aggregating up to Rs.550/- crore.**

d) The Bank endeavours to complete the issue process within the prescribed time lines as indicated in SEBI ICDR Regulations.

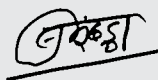
e) In terms of SEBI ICDR Regulations, pre-preferential holding of GOI will be locked-in for a period, commencing from the relevant date to a period of six months from the date of trading approval granted by the stock exchanges.

च) भारत सरकार की शेयरधारिता निर्गत पूर्व एवं निर्गम उपरांत निम्नानुसार होगी:

	शेयरों की संख्या	पूंजी का प्रतिशत
निर्गम पूर्व (29.11.2013 को)	233412499	55.41
निर्गम उपरांत	** उपरोक्त ग) में दी गई टिप्पणी के अनुसार	** उपरोक्त ग) में दी गई टिप्पणी के अनुसार

- छ) बैंक का इक्विटी शेयर छः महीने से अधिक से सूचीबद्ध है, इस कारण सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के विनियम 76(3) एवं 78(5) लागू नहीं हैं.
- ज) भारत सरकार को जारी किए जानेवाली एवं आबंटित किए जाने वाले शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज द्वारा ट्रेडिंग अनुमोदन की स्वीकृति तारीख से तीन वर्ष की अवधि तक लॉक-इन रहेंगे.
- झ) सांविधिक लेखापरीक्षक (कों) द्वारा जारी किया गया इस आशय का प्रमाण-पत्र कि यह निर्गम इन विनियमों की अपेक्षाओं के अनुकूल किया जा रहा है, असाधारण सामान्य बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा.
- ञ) भारत सरकार द्वारा धारित सभी शेयर अभौतिकरूप में हैं तथा बैंक द्वारा इक्विटी शेयर की निरंतर सूचीबद्धता की शर्तों, जैसा कि उन स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण करार में विनिर्दिष्ट है जिसमें कि बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, का पूर्ण अनुपालन किया जा रहा है.
- ट) भारत सरकार द्वारा संबद्ध तारीख से पहले के छः महीनों के दौरान कोई इक्विटी शेयर नहीं बेचा गया है.
- ठ) स्टॉक एक्सचेंजों के साथ निष्पादित सूचीबद्ध समझौते के उपबंध 23 के अनुसार एवं सेबी आईसीडीआर विनियम, 2009 के विनियम 72 के अनुरूप अधिमानता आधार पर शेयरों को जारी करने एवं आबंटन करने हेतु विशेष संकल्प द्वारा शेयरधारकों का अनुमोदन अपेक्षित है.
- ड) बैंक जहां भी अपेक्षित हो, सेबी आईसीडीआर विनियम के प्रावधानों के अनुसार इक्विटी शेयरों के मूल्य की पुनः गणना करने का वचन देता है.
- ढ) बैंक वचन देता है कि यदि मूल्य की पुनः गणना के कारण देय राशि का भुगतान इन विनियमों में निर्धारित समय में नहीं किया जाता है तो आबंटिती द्वारा इस राशि का भुगतान नहीं किए जाने तक विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियां लॉक-इन ही रहेंगी.
- ण) आपके निदेशकगण विशेष संकल्प को पारित करने की सिफारिश करते हैं.
बैंक के किसी भी निदेशक का इस संकल्प से कोई वास्ता अथवा इसमें हित नहीं है.

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते बैंक ऑफ बड़ौदा



(एस.एस.मुंदड़ा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

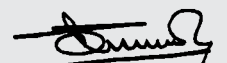
स्थान : मुंबई
दिनांक : 3 दिसंबर, 2013

f) The Pre and Post issue shareholding of Government of India would be as under:

	Number of Shares	Percentage to Capital
Pre- issue (As on 29-11- 2013)	233412499	55.41
Post -issue	**as per remarks given at (c) above.	**as per remarks given at (c) above.

- g) The equity shares of the Bank have been listed for more than six months and accordingly, provisions of Regulation 76 (3) and 78 (5) of SEBI (ICDR) Regulations, 2009 are not applicable.
- h) The shares to be issued and allotted to GOI shall be locked in for a period of three years from the date of trading approval granted by the stock exchanges.
- i) The Certificate issued by the Statutory Auditor(s) certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of these regulations will be tabled at the Extraordinary General Meeting.
- j) All the shares held by Government of India are in dematerialized mode and the Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of equity shares as specified in the Listing Agreement with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed.
- k) The Government of India has not sold any equity shares of the Bank during the six months preceding the relevant date.
- l) In terms of Clause 23 of the Listing Agreement executed with the Stock Exchanges and in terms of Regulation 72 of the SEBI ICDR Regulations 2009, approval of the shareholders of the Bank is required by way of a Special Resolution to issue and allot shares on preferential basis .
- m) The Bank undertakes to re-compute the price of the equity shares in terms of the provisions of SEBI ICDR Regulations where it is required to do so.
- n) The Bank undertakes that if the amount payable on account of re-computation of price is not paid within the time stipulated in these regulations, the specified securities shall continue to be locked- in till the time such amount is paid by the allottee.
- o) Your Directors recommend passing of the Special Resolution.
None of the Directors of the Bank is concerned or interested in the resolution.

By order of the Board of Directors
For **BANK OF BARODA**



(S.S. Mundra)
Chairman & Managing Director

Place: Mumbai
Date: 03rd December 2013

बैंक ऑफ बड़ौदा

प्रधान कार्यालय – मांडवी, बड़ौदा 390 006

फॉर्म बी

प्रॉक्सी फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरा एवं हस्ताक्षरित किया जाए)

पंजीकृत फोलियो नंबर (यदि अभौतिक रूप में न हो)	
डीपीआईडी नं.	
ग्राहक आई.डी.नं. (यदि अभौतिक रूप में हो)	
शेयरों की संख्या	

मैं/हम _____ निवासी _____
जिला _____ राज्य _____

बैंक ऑफ बड़ौदा का / के शेयरधारक होने के नाते एतद्वारा श्री/श्रीमती _____
निवासी _____ जिला _____ राज्य _____

को बुधवार, 15 जनवरी, 2014 को प्रातः 10:00 बजे सर सयाजीराव नगर गृह, वडोदरा महानगर सेवा सदन, बैंक ऑफ बड़ौदा शताब्दी वर्ष (2007-2008), टी.पी.-1, एफ.पी. 549/1, जीईबी कॉलोनी के पास, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा - 390020 में या इसकी स्थगित तारीख को बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयरधारकों की होने वाली असाधारण सामान्य बैठक में मेरी / हमारी ओर से बैठक में भाग लेने और वोट देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करता/करती हूँ/करते हैं।

दिनांक _____ माह _____ 2013/2014 को हस्ताक्षरित

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर _____

नाम : _____

पता : _____

रसीदी
टिकट

प्रथम धारक / एकमात्र धारक के हस्ताक्षर

प्रॉक्सी फॉर्म पर हस्ताक्षर करने एवं इसे जमा करने संबंधी अनुदेश

- प्रॉक्सी का कोई लिखत तब तक वैध नहीं माना जाएगा जब यह -
 - एकल शेयरधारक व्यक्ति के मामले में, शेयरधारक द्वारा या उसके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो.
 - संयुक्त धारकों के मामले में, यह रजिस्टर में दर्ज प्रथम शेयरधारक द्वारा या उसके द्वारा लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो,
 - निकाय कार्पोरेट के मामले में, लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत इसके अधिकारी अथवा अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो.
- प्रॉक्सी लिखत जिसमें शेयरधारक का अंगूठे का निशान लगा है तभी वैध माना जाएगा बशर्ते वह न्यायाधीश, मैजिस्ट्रेट, उप रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेन्सेस या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या बैंक ऑफ बड़ौदा के किसी अधिकारी द्वारा साक्षात्कृत हो.
- प्रॉक्सी लिखत के साथ -
 - मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके तहत इसे हस्ताक्षरित किया गया हो या
 - उस मुख्तारनामा की प्रति या प्राधिकार की प्रति जिसे नोटरी पब्लिक या मैजिस्ट्रेट द्वारा सत्य प्रमाणित किया गया हो, शुक्रवार 10 जनवरी, 2014 को शाम 5.00 बजे तक असाधारण सामान्य बैठक के कम से कम चार दिन पूर्व सहायक महाप्रबंधक (एएमएल) बैंक ऑफ बड़ौदा, आठवां तल, सूरज प्लाजा - I, सयाजीगंज, वडोदरा-390 005 में बैंक की कार्य समाप्ति पर या इससे पूर्व जमा कर देनी चाहिए.
- यदि संबंधित मुख्तारनामा बैंक के पास या इसके शेयर ट्रांसफर एजेंट के पास पहले से ही पंजीकृत हो तो मुख्तारनामा की पंजीकरण संख्या और पंजीकरण के तारीख का उल्लेख किया जाना चाहिए.
- बैंक के पास जमा की गई प्रॉक्सी की लिखत अपरिवर्तनीय और अंतिम होगी.
- विकल्प के तौर पर दो स्वीकृत व्यक्तियों के पक्ष में दी गई प्रॉक्सी लिखत के मामले में एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किया जाएगा.
- प्रॉक्सी की लिखत को निष्पादित करने वाला शेयरधारक संबंधित बैठक में व्यक्तिगत रूप से मतदान का हकदार नहीं होगा.
- किसी भी ऐसे व्यक्ति को यथाविधि प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा प्रॉक्सी नियुक्त नहीं किया जाएगा जो बैंक ऑफ बड़ौदा का अधिकारी अथवा कर्मचारी हो.
- प्रॉक्सी फार्म में किए गए सभी परिवर्तनों पर यथाविधि आद्यक्षर/हस्ताक्षर होने चाहिए.

Bank of Baroda

Head Office: Mandvi, Baroda – 390 006

FORM 'B'

FORM OF PROXY

(To be filled in and signed by the shareholder)

Regd. Folio No. (If not Dematerialised)	
DPID No. Client ID No. (If Dematerialised)	
No of shares.	

I/We, _____ Resident of _____ in the district of _____ in the State of _____ being a shareholder/s of BANK OF BARODA, hereby appoint Shri/Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the State of _____ or failing him/her, Shri/Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the State of _____ as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of the shareholders of the Bank to be held on **Wednesday, 15th January 2014, at 10.00 a.m.** at Sir Sayaji Rao Nagargriha, Vadodara Mahanagar Seva Sadan, Bank of Baroda Centenary Year (2007-2008), T. P. – 1, F. P. 549/1, Near GEB Colony, Old Padra Road, Vadodara – 390 020 and at any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 2013/2014.

Signature of the Proxy _____

Name : _____

Address : _____

Revenue
stamp

Signature of first /sole holder

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND DEPOSITING THE PROXY FORM

- The instrument of proxy to be valid,
 - in case of an individual shareholder, shall be signed by him/her or by his/her attorney duly authorised in writing ,
 - in the case of joint holders, shall be signed by the shareholder first named in the Register of Shareholders or by his/her attorney duly authorised in writing,
 - in the case of a body corporate, shall be signed by its officer and executed under its Common Seal, if any, or otherwise signed by its attorney duly authorised in writing, and
 - shall be in the Form B and duly stamped.
- An instrument of proxy, in which the thumb impression of the shareholder is affixed, will be valid provided it is attested by a Judge, Magistrate, Sub-Registrar of Assurances or any other Government Gazetted Officer or an officer of Bank of Baroda.
- The proxy together with
 - the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or
 - a copy of that power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Head Office with Assistant General Manager (AML), Bank of Baroda,
- 8th Floor, Suraj Plaza-1, Sayajiganj, Vadodara – 390 005, not later than **FOUR DAYS** before the date of the Extraordinary General Meeting, i.e. on or before **closing hours i.e. 5.00 p.m. of Friday, the 10th January, 2014.**
- In case the relevant power of attorney is already registered with Bank of Baroda or its Share Transfer Agent, the registration number of the power of attorney and the date of such registration may be mentioned.
- An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.
- No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of BANK OF BARODA.
- All alteration in the Proxy Form should be duly initialled /signed by executant.

बैंक ऑफ़ बड़ौदा

प्रधान कार्यालय — मांडवी, बड़ौदा 390 006

उपस्थिति पर्ची

(प्रवेश के समय जमा करनी होगी)

दिनांक	15 जनवरी, 2014
समय	प्रातः 10.00 बजे
स्थान	सर सयाजीराव नगरगृह, वड़ोदरा महानगर सेवा सदन, बैंक ऑफ़ बड़ौदा शताब्दी वर्ष (2007-2008), टी.पी.1, एफ.पी.549/1, जीईबी कॉलोनी के पास, ओल्ड पादरा रोड, अकोटा, वड़ोदरा- 390 020
उपस्थित शेयरधारक/प्रॉक्सी/ प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	
पंजीकृत फोलियो नं. (अगर डिमेट में न हो/डी.पी. आई.डी. एवं ग्राहक आईडी (यदि डिमेट में हो).	
शेयरधारक का नाम	
शेयरों की संख्या	

बैंक ऑफ़ बड़ौदा

प्रधान कार्यालय — मांडवी, बड़ौदा 390 006

प्रवेश पत्र

(बैठक के दौरान अपने पास रखें)

उपस्थित शेयरधारक/प्रॉक्सी/ प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	
पंजीकृत फोलियो नं. (अगर डिमेट में न हो/डी.पी. आई.डी. एवं ग्राहक आईडी (यदि डिमेट में हो).	
शेयरधारक का नाम	
शेयरों की संख्या	

शेयरधारकों /प्रॉक्सी अथवा शेयरधारकों के प्राधिकृत प्रतिनिधि से अनुरोध है कि बैठक में प्रवेश प्राप्त करने के लिए बैंक में पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर जैसी यथाविधि हस्ताक्षरित उक्त उपस्थिति पर्ची और प्रवेशपत्र एक साथ प्रस्तुत करें. तथापि प्रवेश, सत्यापन/जांच, जैसा आवश्यक समझा जाएगा, के अधीन होगा. किसी भी परिस्थिति में, बैठक हाल में प्रवेश करने के लिए कोई डुप्लिकेट उपस्थिति पर्ची जारी नहीं की जाएगी.

Bank of Baroda

Head Office: Mandvi, Baroda – 390 006

ATTENDANCE SLIP

(To be surrendered at the time of entry)

Date	15 th January 2014
Time	10.00 A.M.
Place	Sir Sayaji Rao Nagargriha, Vadodara Mahanagar Seva Sadan, Bank of Baroda Centenary Year (2007-2008), T. P. – 1, F. P. 549/1, Near GEB Colony, Old Padra Road, Vadodara – 390 020
Signature of the Shareholder/ Proxy/Representative present	
Regd. Folio No. (if not dematerialized) / D.P. ID & Client ID (if dematerialized).	
Name of the Shareholder	
No. of Shares:	

Bank of Baroda

Head Office: Mandvi, Baroda – 390 006

ENTRY PASS

(To be retained throughout the meeting)

Signature of the Shareholder/ Proxy/Representative present	
Regd. Folio No. (if not dematerialized) / D.P. ID & Client ID (if dematerialized).	
Name of the Shareholder	
No. of Shares:	

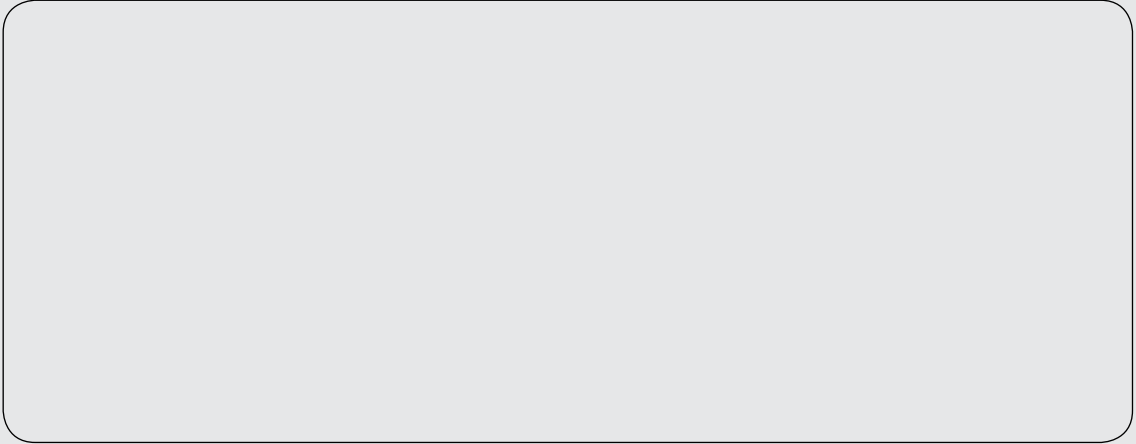
Shareholders/proxy or authorized representative of shareholders are requested to produce the above attendance slip, duly signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank, alongwith the entry pass, for admission to the venue. The admission will, however, be subject to verification / checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, any duplicate attendance slip will be issued at the entrance to the meeting hall.



बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

India's International Bank

बुक पोस्ट
Book-Post



गैर सुपुर्दगी की स्थिति में नीचे दिए गए पते पर लौटाये :

मैसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड

(यूनिट: बैंक ऑफ़ बड़ौदा)

प्लॉट नं 17 से 24, इमेज हॉस्पिटल के पास

विठ्ठलराव नगर, माधापुर, हैदराबाद-500081

फोन नं : 040-2342 0815 से 820

फैक्स नं : 040-2342 0814

ई-मेल : einward.ris@karvy.com

If undelivered, please return to:

M/s Karvy Computershare Private Ltd

(Unit : Bank of Baroda)

Plot No.17 to 24, Near Image Hospital

Vittalrao Nagar, Madhapur

Hyderabad - 500 081

Phone No. 040 – 2342 0815 to 820,

Fax No. 040 – 2342 0814

e-mail : einward.ris@karvy.com